न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 78/2017
प्रविष्टि दिनांक 19–7–2017

गिर्राज पुत्र गोपाल मीणा निवासी ग्राम घांसड़ी तहसील व जिला–टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

सोराज पुत्र नानगराम बैरवा निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0टि0एक्ट 1955 विरूद निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 04.07.2017

उपस्थिति –(1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री अशोक कासलीवाल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 8–2–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 4–7–2017 को अपीलाण्ट को आराजी ख0न0 680/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ग्राम घांस तहसील टोंक में से 10**x**100 फिट भूमि से बेदखल करने,कब्जा सुपुर्द करने व पेनल्टी कायम करने का निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई एंव रेस्पोडेण्ट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ख. नं0 680/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में अपीलान्ट का कोई दखल नहीं है उस भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने चारों तरफ तारबन्दी कर बाड लगा रखी है तथा उसमें अपीलान्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ख. नं. 680/2 रकबा 2 बिस्वा ग्राम घास में ग्राम पंचायत घास द्वारा वर्षों पहले अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है जिसके अनुसार मौके पर वर्षों से दुकाने बनी हुई है इसमें कुछ हिस्सा सडक में आने के कारण सरकार द्वारा तोडकर विद्युत पोल गाड दिया है, जिस स्थान पर दुकाने बनी हुई है वह स्थान ख. नं. 680/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का भू[illegible] नहीं है, इ[illegible] के सम्बन्ध में जो कि ख. नं. 680/2 के रूप में है के बारे में धारा 183 बी–[illegible] टि[illegible]क्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को नहीं है क्योंकि यह भूमि [illegible] है, इस बात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया। ख. नं. 680/1 के चारो ओर तारबन्दी के बाद बरसाती नाला निकला हुआ है और नाले के बाद अपीलान्ट की दुकाने बनी हुई है इस सम्बन्ध में ख. नं. 680/1 के पूर्व खातेदार मांगीलाल ने न्यायालय एस0डी0ओ टोंक में अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की थी जिन्होंने बाद जांच उन्होंने मांगीलाल के दावे व प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया था परन्तु उसी मांगीलाल से रेस्पोडेन्ट से खं. नं. 680/1 की 2 बीघा 4 विस्वा भूमि खरीद कर बिना किसी अधिकार के पूर्व तथ्यों को छिपाते हुये धारा 183–बी–राज. टि. एक्ट का गलत आधार बनाकर झूठा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, रेस्पोडेन्ट ख. नं. 680/1 की खातेदारी की भूमि की आड में अपीलान्ट के कब्जे व स्वामित्व की बरसाती नाले के बाद व सडक के बीच सडक सीमा से काफी दूर स्थित दुकानों का हटवाकर रेस्पोडेन्ट सडक के पास आना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है, तहसीलदार ने पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की थी जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुऐ नाजयज फैसला पारित किया है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्रूथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–7–2017 निरस्त किया जावे तथा रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 टिनेन्सी एक्ट मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस मे अंकित किया कि हमने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक में यह एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी रेस्पोडेण्ट आराजी खसरा नम्बर 680/1 रकबा 2.04 बीघा भूमि का खातेदार, काश्तकार है और उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, प्रार्थी के उक्त खातेदारी में कब्जे की भूमि मे अपीलांट अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिसे बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया था। तहसीलदार टोंक द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का मौका दिया गया और अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा भू.अ.नि. घास की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई, उनके द्वारा मौके की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उन्होने रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है, की गिर्राज द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि 10X100 भाग पर अतिक्रमण कर रखा है।. प्रार्थी अनुसूचित जाति बैरवा समाज का व्यक्ति हे, उसकी भूमि पर अपीलांट गिर्राज मीणा ने अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है, जिसका की उसको कोई कानूनन अधिकार नहीं है। इस सुरक्षा हेतु धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान नियत किया है व इसके प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय ने अपीलांट को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने व बेदखल कर भूमि का कब्जा रेस्पोडेण्ट को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया हे, उक्त आदेश राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से एवं राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के पश्चात सम्पूर्ण रूप से विनिश्चय कर साक्ष्य का अवलोकन कर कानूनन रूप से निर्णय पारित किया हे, जो उचित एवं न्यायसंगत है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी अपीलांट की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया था कि अपीलांट ने पूर्व खातेदार मांगीलाल बैरवा से नुमाईशी विक्रयपत्र खसरा नम्बर 680/1 रकबा 2.04 बीघा क्रय की थी, जबकि उसके द्वारा जवाब का सत्यापन न तो मौका रिपोर्ट से होता है क्योंकि जांच रिपोर्ट में अपीलांट का 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर न तो कब्जा पाया है, बल्कि 10X100 फिट भूमि पर अतिक्रमण [illegible] है, उक्त तथ्य की पुष्टि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जांच रिपोर्ट से [illegible] है [illegible] यह भी स्पष्ट रूप से निहित है। धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट [illegible] अनुसूचित जाति के सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित [illegible] नहीं, उसके पक्ष में अनूसूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:33 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

जाति के खातेदारी की जमीन को विक्रय दान या वसीयत नहीं किया जा सकता है, उक्त स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप निरबंधन है, ऐसा विक्रय अथवा स्थानान्तरण शून्य होगा, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वर्णित तथ्य प्रथम दृष्टया ही स्वीकृत नही है। चूंकि न तो पूर्व खातेदार उक्त भूमि को बेचान अपीलांट को कर सकता था और नही उसके द्वारा बेचान किया है। ऐसे कोई दस्तावेजात भी अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही जवाब में पूर्व के खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज करना बताया है, जबकि वर्तमान में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट श्योराज खातेदार है, उसके द्वारा कभी भी कोई प्रकरण पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है और किसी भी प्रकार से अपीलांट को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा एंव खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं रेस्पोडेण्ट की लिखित बहस तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–7–2017 से अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 680/1 रकबा 2.04 बीघा भूमि में से 10x100 फिट भूमि पर किये गये कब्जे से बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान 0.25 रूपये का 50 गुना 13 रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जबकि अपीलान्ट का कथन है कि ख. नं0 680/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में अपीलान्ट का कोई दखल नहीं है उस भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने चारों तरफ तारबन्दी कर बाड लगा रखी है तथा उसमें अपीलान्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ख. नं. 680/2 रकबा 2 बिस्वा भूमि का ग्राम पंचायत घास द्वारा वर्षों पहले अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है जिसके अनुसार मौके पर वर्षों से दुकाने बनी हुई है इसमें कुछ हिस्सा सडक में आने के कारण सरकार द्वारा तोडकर विद्युत पोल गाड दिया है, जिस स्थान पर दुकाने बनी हुई है वह स्थान ख. नं. 680/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का भू–भाग नहीं है, इस स्थान के सम्बन्ध में जो कि ख. नं. 680/2 के रूप में है के बारे में धारा 183 बी–राज. टि. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को नहीं । क्योंकि यह भूमि राजकीय भूमि है, इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया। परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायालय मे ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह सिद्व हो कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अवैधानिक रूप से कब्जा हो। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4–7–2017 अपास्त किया जाता है एंव तहसीलदार टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि नायब तहसीलदार के साथ दो भू0 अ0 निरीक्षक व दो पटवारियों की संयुक्त टीम से मौके व राजस्व रिकार्ड की जॉच पक्षकारान की मोजूदगी में करावें तथा पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 8–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner